धारा 119 : अपील, आदि के होते हुए भी संदत्त की जाने वाली राशियां

इस बात के होते हुए भी कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील की गई है, यथास्थिति, धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण की [1][प्रधान न्यायपीठ] या धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण की [2][राज्य न्यायपीठों] या धारा 117 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप सरकार को दिए जाने वाली राशि इस प्रकार पारित आदेश के अनुसरण में संदेय होगी।

---

1 वित अधिनियम, 2023, दिनांक 31.03.2023 द्वारा शब्दों ''राष्ट्रीय या प्रादेशिक न्यायपीठों'' के स्थान पर प्रतिस्थपित। प्रभावशील दिनांक 01.08.2023।

2 वित अधिनियम, 2023, दिनांक 31.03.2023 द्वारा शब्दों ''राज्य न्यायपीठों या क्षेत्रीय न्यायपीठों'' के स्थान पर प्रतिस्थपित। प्रभावशील दिनांक 01.08.2023।